न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉंची।

एस ए आर अपील 33 आर 15/07–08

प्रभावती देवी — अपीलकर्ता

बनाम

विनोद कुमार मुण्डा — प्रतिवादी

आदेश

13
5.03.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 312/05–06/में विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉंची द्वारा दिनांक 1.7.06 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का आदेश दिया है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
कोकर	20	293	2.5 कट्ठा

अपील आवेदन में कहा गया है कि निम्न न्यायालय में प्रतिवादी ने मनोज जयसवाल के विरुद्ध जमीन वापसी का वाद दायर किया था। दिनांक 23.9.2005 को मनोज जयसवाल न्यायालय में उपस्थित हुए एवं आवेदन दिया कि विवादित जमीन से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उसी तिथि को अपीलकर्ता द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन दिया गया कि उन्होंने 12.6.2001 को विवादित जमीन बलराम बनर्जी से खरीदा है, अतः उन्हें पक्षकार बनाया जाय। अपीलकर्ता के उक्त आवेदन को समयावेदन समझते हुए निम्न न्यायालय द्वारा उनका पक्ष सुने बिना आदेश पारित कर दिया गया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों का ही उल्लेख किया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने

लिखित बहस दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि विवादित जमीन खतियान में उनके पूर्वज ठुँठा मुण्डा वगैरह के नाम दर्ज है। अपीलकर्ता द्वारा धारा 46 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर विवादित जमीन पर कब्जा किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क, निम्न न्यायालय अभिलेख आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय में अपीलकर्ता का पक्ष नहीं सुना गया है जबकि उन्होंने दिनांक 23.9.2005 को वाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन भी दिया था। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है।

अतः अपील स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का आदेश विखण्डित किया जाता है। वाद पुनः सुनवाई हेतु निम्न न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाता है। निम्न न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए दो माह के अंदर नियमानुकुल आदेश पारित किया जाय।

दिनांकः—5.3.2008

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता
रॉची।